महत्वपूर्ण/ई–मेल
संख्या–2653/आठ–3–2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **नियंत्रक प्राधिकारी**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र,
विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
(अयोध्या एवं उरई को छोडकर)

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 27 अक्टूबर, 2023**

विषयः– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 2112(1)/आठ–3–2023 दिनांक 20 सितम्बर 2023 के क्रम में महायोजना के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या 2112(1)/आठ–3–2023 दिनांक 20 सितम्बर 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रारूप महायोजना के अन्तिम रूप से अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने से पूर्व समस्त अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर शासन/शासकीय समिति के निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करते हुये महायोजना प्रविवेदन 03 प्रतियों में भौतिक रूप से एवं पेनड्राईव में सॉफ्टप्रति सहित तथा निर्धारित टेम्पलेट के अनुसार प्रस्तुतीकरण की प्रति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

2– उक्त के क्रम में प्रारूप महायोजनाएं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जा रही हैं जिनका परीक्षण मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें निम्न त्रुटियाँ संज्ञान में आयीं हैं:–

2.1 महायोजना प्रतिवेदन के साथ बोर्ड बैठक, शासन स्तरीय बैठकों के अनुपालन आख्याएं, आपत्ति सुझाव समिति की संस्तुतियां अभिकरण स्तर से पुष्टि करते हुये संलग्न नही की जा रही हैं।

2.2 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. के पत्र संख्या 76/स.नि.(के)/ अमृत–विविध/ 2023–24 दिनांक 10 अक्टूबर 2023 द्वारा प्रेषित टेम्पलेट के अनुसार महायोजना प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराए जा रहे हैं।

2.3 महायोजना प्रतिवेदन के आवरण पृष्ठ पर एवं महायोजना प्रारूप अंग्रेजी में तैयार कर गूगल द्वारा हिन्दी अनुवाद किया गया है, जिससे प्रतिवेदन के लगभग सभी पृष्ठों पर मात्रा एवं शाब्दिक अशुद्धियों के साथ–साथ वाक्यों का अर्थ भी अस्पष्ट एवं असंगत है।

2.4 महायोजना प्रतिवेदन की कई तालिकाओं में आंकड़ों के योग, प्रतिशत, ग्राफ त्रुटिपूर्ण हैं। साथ ही तालिका में टंकित आंकड़ों एवं उनके वाक्यांश में भिन्नता है।

2.5 महायोजना प्रतिवेदन में केवल जनसंख्या का प्रक्षेपण किया गया हैं, जबकि सुविधाओं का भी प्रक्षेपण होना चाहिए।

2.6 जोनिंग रेगुलेशन्स की मैट्रिक्स में वर्णित भू–उपयोग एवं महायोजना मानचित्र में प्रस्तावित भू–उपयोगों में साम्य नही है। इसके अतिरिक्त जोनिंग रेगुलेशन की मैट्रिक्स में क्रियाओं की अनुमन्यता त्रुटिपूर्ण है। साथ ही जोनिंग रेगुलेशन अध्याय में कतिपय क्रियाओं को परिभाषित किया गया है, परन्तु उनका समावेश तालिका में नही किया गया है तथा कहीं–कहीं पर तालिका में समावेशित समस्त क्रियाओं को परिभाषित नही किया गया है।

2.7 महायोजना प्रतिवदेन में संलग्न मानचित्र नॉट टू स्केल एवं अपठनीय हैं।

2.8 प्रारूप महायोजना के भू–उपयोग मानचित्र में अभिकरण बोर्ड/आपत्ति सुझाव समिति की संस्तुति का पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया है अथवा ऐसे परिवर्तन किये गये हैं, जिनका उल्लेख किसी भी बैठक के कार्यवृत्त में नही है।

2.9 ऐसे भू–उपयोग जिनका शासन स्तर पर भू–उपयोग परिवर्तन कर दिया गया है एवं उनका समायोजन प्रारूप भू–उपयोग मानचित्र में कर लिया गया है, का पूर्ण विवरण एवं मानचित्र पर उनका चिह्नांकन सम्मिलित नही किया गया है।

2.10 भू–उपयोग मानचित्र पर आपत्ति/सुझाव सुनवाई समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ–साथ बोर्ड के समस्त सदस्यों सहित अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं, जिनका पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2.11 महायोजना प्रत्यावेदन के साथ संलग्न 'हस्ताक्षरित प्रारूप भू–उपयोग मानचित्र' का लीजेन्ड 'हिन्दी भाषा' के स्थान पर 'अग्रेजी भाषा' में है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महायोजना तैयार किए जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्राधिकरण का है। अभिकरण स्तर पर यह पुष्टि कर ली जाये कि महायोजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र में उपरोक्त समस्त विवरण सम्मिलित हैं एवं विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है तत्पश्चात ही नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को महायोजनायें उपलब्ध करायी जाएं जिससे परीक्षण की कार्यवाही त्वरित रूप से सम्पन्न हो सके तथा शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान किया जा सके। उल्लेखनीय है कि महायोजना तैयार किये जाने का कार्य प्राथमिकता का है जिसमें पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है। इसलिए उपाध्यक्ष/सचिव स्तर पर प्रत्येक बिन्दु पर स्वयं देखकर समयबद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई त्रुटि न हो, यदि जांच में कोई कदाशयता पायी गयी तो दण्डात्मक कार्यवाही पर भी विचार किया जाएगा। उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

Arun Kumar
(अरूण कुमार)
अनु सचिव।